

राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, इस पूरे वर्ष के दौरान, इलिनोइस राज्य में रिकॉर्ड तोड़ मौसम संबंधी घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें भयंकर तूफान, बवंडर, भारी वर्षा, अचानक बाढ़, ओलावृष्टि और सीधी रेखा वाली हवाएं शामिल हैं, जिनसे व्यापक क्षति और विनाश हुआ है; और,

जबकि, 2026 में, इलिनॉय राज्य ने राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा अब तक सत्यापित लगभग 212 बवंडरों के साथ बवंडरों में देश का नेतृत्व किया है; और,

जबकि, राज्य संसाधनों और पारस्परिक सहायता भागीदारों की सहायता से, कुक काउंटी भीषण तूफानों और बवंडरों से उबरने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है, जिसमें मलबा हटाना भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है; और,

चूंकि, कुक काउंटी और प्रभावित समुदायों में स्थानीय संसाधन और क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं, और इन तूफानों के प्रभावों से निपटने और उनसे उबरने में सहायता के लिए राज्य संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना और अधिक गंभीर और स्थायी नुकसान के खतरों को कम करना या टालना शामिल है; और,

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान और कानूनों द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के तहत, और इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1: इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, मैं पाता हूँ कि इलिनोइस राज्य के भीतर आपदा बनी हुई है और विशेष रूप से कुक काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ।

अनुभाग 2: IEMA-OHS को राज्य आपातकालीन संचालन योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने और आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों में स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य संसाधनों का समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

अनुभाग 3: इलिनॉय परिवहन विभाग, इलिनॉय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और इलिनॉय वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग, आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकारों को राहत और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता प्रदान करेंगे। अन्य सभी राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति गतिविधियों के लिए क्षमताओं की पहचान करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए आईईएमए-ओएचएस के साथ सहयोग करें।

अनुभाग 4: इलिनाय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम द्वारा अधिकृत प्रतिक्रिया और अन्य आपातकालीन शक्तियों के लिए आवश्यक आपातकालीन खरीद में सहायता के लिए, इलिनाय खरीद संहिता, संयुक्त खरीद अधिनियम और राज्य संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के वे प्रावधान जो किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं, उस हद तक निलंबित किए जाते हैं जहां तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 5: इन भीषण तूफानों से उत्पन्न मलबे के निपटान में सहायता के लिए, जिसमें भस्मीकरण उपकरणों का उपयोग भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, वे सभी वैधानिक और नियामक प्रावधान जो परमिट या लाइसेंस की शर्त रखते हैं और जो किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं, उन्हें उस हद तक निलंबित किया जाता है जहां तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 6: यह उद्घोषणा राज्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित संघीय और राज्य आपदा सहायता के अनुरोधों को सुविधाजनक बना सकती है। राहत और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए, अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम (GATA) और उसके तहत जारी किए गए नियमों के वे प्रावधान जो किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं, उस हद तक निलंबित किए जाते हैं जहां तक कि वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 7: 15 ILCS 30/3 के अनुसार, राज्यपाल के प्रबंधन और बजट कार्यालय (GOMB) और IEMA-OHS को आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कोष से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है, बशर्ते कि इस आपात स्थिति का जवाब देने वाली सभी सार्वजनिक एजेंसियों को आपदा राहत या प्रतिक्रिया के लिए विशेष रूप से आवंटित किसी भी धन को पहले खर्च करना होगा।

अनुभाग 8. यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जे.बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2026